न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 30/2024 GCMS No.—2024/122

पांचूराम रैगर पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..........निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिये सरपंच।
2. रामकंवार पुत्र नारायण रैगर जाति रैगर, निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज.।

.............विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 28.03.1997 मिसल संख्या 4 तारीख दायर 13.04.1995 जो कि अवैध तरीके से/नियम विरूद्ध अप्रार्थी/गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में बिना विधिक प्रकिया व कानून के बाहर जाकर किया गया।

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रमेश कुमार जाजोरिया अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 24.11.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ के मिसल संख्या 4 आदेश दिनांक 28.03.1997 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 2 रामकॅवार पुत्र नारायण रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.05.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ में विधि विरूद्ध जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियमों की अवहेलना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टे की किस्म गै0मु0खारडा थी इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 निगरानीधीन पट्टे

कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत खरकडा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में आदेश दिनांक 28.03.1997 के द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में निगरानीधीन पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है इसलिए प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पट्टा जारी किये जाने के समय गै0मु0खारडा थी एवं गै0मु0खारडा की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ स्थित खसरानंबर 10 रकबा 0.90 हैक्टेयर में स्थित है। खसरा नंबर 10 वाके ग्राम खरकडा स्थित भूमि का जिला कलक्टर जयपुर के आदेश कमांक आर–1(26)/2022 /आबादी/जमवारामगढ/8086 दिनांक 25.11.2022 द्वारा सार्वजनिक आबादी विस्तार हेतु पृथक (सेट अपार्ट) किया जा चुका है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 113 तस्दीक दिनांक 09.01.2023 द्वारा खसरा नंबर 10 की भूमि की किस्म गै.मु.खारडा से गै.मु.आबादी हो चुकी है एवं भूमि की खातेदारी वर्तमान में ग्राम पंचायत खरकडा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का खरकडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2025 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा नंबर 10 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम खरकडा में गैर निगरानीकार संख्या 2 के आवासीय मकानात बने हुए है। विचाराधीन प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 के निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर आवासीय मकानात बने हुए है तथा वर्तमान में निगरानीधीन पट्टे की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0आबादी दर्ज हो चुकी है। इसलिए वर्तमान में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा प्रकरण में ग्राम पंचायत खरकडा, पं.स. जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि यदि गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा निगरानीधीन पट्टे की भूमि से अधिक आबादी भूमि पर अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण किया जाता है तो गैर निगरानीकार संख्या 2 के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में निहित प्रावधानो के तहत ग्राम पंचायत खरकडा कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति ग्राम पंचायत खरकडा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर